




फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

सन्तोष काई विपक्षी श्रेकलाल
मुकदमा 88-53-188 RT Act पत्रावली संख्या 110/23 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>28/11/25 वकुलप्य वादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली/तलवी/वा. काममी</u> के लिये मीका चाहते है। अतः <u>28/11/25</u> की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>19/12/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
<p>19/12/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता <u>पत्रकारण एम.।</u> उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकास/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>6/2/26</u> को पेश हो। P1 2</p>	
<p>6/2/26 वकुलप्य वादी/प्रतिवादी उप <u>पत्रावली/तलवी/वा. काममी</u> के लिये मीका चाहते है। अतः <u>06/2/26</u> की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>13/2/26</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
<p>13/02/26 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयाँ मध्य स्वयं वादीयाँ अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीया मध्य स्वयं वादीया को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँघ 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादीया एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीया मध्य स्वयं वादीया अनुपस्थित रहने पर वादीया का वाद अदम्य डायरी अदम्य फैली में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली